

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -442/2023

अनवान : -

1. सुन्दर देवी पुत्री गोपाल राम पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. हुकमीचन्द पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 06.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 की कुल 16.7060 है० भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 1538/की कुल 9.0033 है० भूमि व खाता संख्या 1537/1467 के खसरा नं. 3634/1774 की कुल 3.0095 है० में से 10/119 हिस्सा व खाता संख्या 1578/637 के खसरा नं. 3255/704 की कुल 2.3520 है० व खाता संख्या 674/642 की कुल 38.4155 है० भूमि में से 30/1519 हिस्सा एवं खाता संख्या 735/702 के खसरा नं. 1385/467 की कुल 7.5870 है० भूमि में से 47/300 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है।

वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.7060 है० भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीया काबिज है एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 1538/1668 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 9.0033 है० भूमि व खाता संख्या 1537/1467 के खसरा नं. 3634/1774 की कुल

3.0095 है० में से 10/119 हिस्सा व खाता संख्या 1578/637 के खसरा नं. 3255/708 की कुल 2.3520 है० व खाता संख्या 674/642 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 38.4155 है० भूमि में से 30/1519 हिस्सा एवं खाता संख्या 735/702 के खसरा नं. 1385/467 की कुल 7.5870 है० भूमि में से 47/300 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स० 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादीया एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.7060 है० भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में हुकमीचन्द कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना समस्त हक हिस्सा अपनी बहन सुन्दर देवी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। उक्त वाद भूमि सुन्दरदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। राजीनामा मुरारीलाल पुत्री श्री हुकमीचन्द निवासी साहवा व साबराम पुत्र श्री सुलतान निवासी चारणवासी गवाहन की उपस्थित में तहरीर किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स० 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 की कुल 16.7060 है० भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 1538/की कुल 9.0033 है० भूमि व खाता संख्या 1537/1467 के खसरा नं. 3634/1774 की कुल 3.0095 है० में से 10/119 हिस्सा व खाता संख्या 1578/637 के खसरा नं. 3255/704 की कुल 2.3520 है० व खाता संख्या 674/642

28

की कुल 38.4155 है० भूमि में से 30/1519 हिस्सा एवं खाता संख्या 735/702 के खसरा नं. 1385/467 की कुल 7.5870 है० भूमि में से 47/300 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स० 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स० 1 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 की कुल 16.7060 है० भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 1538/1468 की कुल 9.0033 है० भूमि व खाता संख्या 1537/1467 के खसरा नं. 3634/1774 की कुल 3.0095 है० में से 10/119 हिस्सा व खाता संख्या 1578/637 के खसरा नं. 3255/708 की कुल 2.3520 है० व खाता संख्या 674/642 की कुल 38.4155 है० भूमि में से 30/1519 हिस्सा एवं खाता संख्या 735/702 के खसरा नं. 1385/467 की कुल 7.5870 है० भूमि में से 47/300 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...6/6/23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-गोरखाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -442/2023

अनवान : -

1. सुन्दर देवी पुत्री गोपाल राम पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
।

- वादी

बनाम्

1. हुकमीचन्द पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला
चुरु।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 442 सन 2023 निर्णय दिनांक 06.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 227/223 की कुल 16.7060 है0 भूमि में से 1600/8353 हिस्सा भूमि व जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 16/17 के खसरा नं. 19 की 6.1210 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 1538/1468 की कुल 9.0033 है0 भूमि व खाता संख्या 1537/1467 के खसरा नं. 3634/1774 की कुल 3.0095 है0 में से 10/119 हिस्सा व खाता संख्या 1578/637 के खसरा नं. 3255/708 की कुल 2.3520 है0 व खाता संख्या 674/642 की कुल 38.4155 है0 भूमि में से 30/1519 हिस्सा एवं खाता संख्या 735/702 के खसरा नं. 1385/467 की कुल 7.5870 है0 भूमि में से 47/300 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...6/6/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-गोरखाना